शोध प्रकाशनों को DOI से संबद्ध करना

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश में **उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs)** की वैश्विक पहचान और शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिये राज्य की उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शैक्षणिक प्रकाशनों को **डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (DOI)** से **संबद्ध** करने को अनिवार्य कर दिया है।

- इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध-पत्र, शोध प्रबंध, सारांश, परियोजना कार्यवाही और अन्य शैक्षणिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृश्यता प्राप्त करें।
- वर्तमान में, **समर्थ-CAS पोर्टल** पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा प्रकाशित कुल 104,742 शोध प्रकाशनों में से केवल लगभग 8% (8,410 प्रकाशन) ही DOI से **संबद्ध** किये गए हैं।

मुख्य बिंदु

- **डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (DOI):**
  - यह एक अद्वितीय **अल्फान्यूमेरिक शृंखला (string)** है, जो डिजिटल सामग्री, जैसे शोध-पत्र और शोध प्रबंध, को सौंपी जाती है।
  - यह शैक्षणिक कार्य के लिये स्थायी और स्थिर कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा समय के साथ इसकी पहुँच, खोज तथा उद्धरण सुनिश्चित करता है।
  - DOI का उपयोग वैश्विक स्तर पर शोधकर्त्ता, प्रकाशक और शैक्षणिक डेटाबेस अपने शैक्षणिक कार्यों को कुशलतापूर्वक ट्रैक तथा **संबद्ध** करने के लिये करते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - DOI **संबद्धता** की ओर यह कदम **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक मान्यता और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेश पर ज़ोर देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/linking-academic-publications-to-digital-object-identifiers-dois